# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ..........

महेन्द्र कुमार बनाम धन्नाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज. आदेश नं. 186/22 सन 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/3/22 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सिहाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/4/22 को पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) बायतु | |
| 20/04/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दि. वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/04/2022 को पेश हो। | |

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 27/04/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।<br><br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) बायतु |

न्यायालय

क्रमांक : वाद/2022/373

प्रार्थी

1. महेन्द्र कुमार पुत्र केवलचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी लुणाडा, पटवार मण्डल लुणाडा, तहसील गिडा (बाडमेर)

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 373 दिनांक : 27/4/22

**प्रार्थी** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. महेन्द्र कुमार पुत्र केवलचन्द,
जाति ब्राह्मण, निवासी लुणाडा,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. अनाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 05,
जाति जाट, निवासी लुणाडा,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 106 / 2022

## आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लुणाडा, पटवार मण्डल –लुणाडा, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1574 / 1458 रकबा 3.5596 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 374 to 378 दिनांक : 27/4/22

**प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा / बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र केवलचन्द,
4. विप्रार्थी श्री अनाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु